LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, February 06, 2026 / Magha 17, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, February 06, 2026 / Magha 17, 1947 (Saka)

CONTENTS PAGES

ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION 1 – 30
(S.Q. NO. 101)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 31 – 50
(S.Q. NO. 102 – 113, 115 – 120)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 1151 – 1170, 1172 – 1194,
1196 – 1199, 1201 – 1237,
1239 – 1267, 1269 – 1380)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, February 06, 2026 / Magha 17, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, February 06, 2026 / Magha 17, 1947 (Saka)

C ON T E N T S — P A G E S

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 96

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 365TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS – LAID 296

Shrimati Annpurna Devi

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 149TH AND 161ST REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE – LAID 296

Shrimati Anupriya Patel

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 297 - 308

Sushri Kangna Ranaut 297

Shri Damodar Agrawal 298

Shri Ramesh Awasthi 298

Shri Darshan Singh Choudhary 299

Dr. Rabindra Narayan Behera 299

Shrimati Smita Uday Wagh 300

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 300

Shrimati Kamaljeet Sehrawat 301

Shri Naveen Jindal 301

Shri Arun Govil **302**

Shrimati Kriti Devi Debbarman **302**

Shri Kali Charan Singh **303**

Dr. Mohammad Jawed **303**

Shri Saptagiri Sankar Ulaka **304**

Shrimati Sanjna Jatav **304**

Shri V. K. Sreekandan **305**

Shrimati Ruchi Vira **305**

Shri Jagadish Chandra Barma Basunia **306**

Dr. Ganapathy Rajkumar P. **306**

Shri G.M. Harish Balayogi **307**

Shri Rajesh Ranjan **308**

… **309 - 10**

xxxx

(1100/KN/SRG)

(प्रश्न 101)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल। क्वेश्चन नंबर 101 – श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव जी।

... (व्यवधान)

श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव (पंचमहल) : महोदय, प्रश्न संख्या 101... (व्यवधान)

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: महोदय, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि सदन चले। प्रश्न काल सभी माननीय सदस्यों का समय होता है। आज राजपालसिंह जी का क्वेश्चन है, प्रियंका गांधी जी का भी है और अन्य सदस्यों का भी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

1101 बजे

(इस समय श्री इमरान मसूद, सुश्री महुआ मोइत्रा, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की यह अपेक्षा रहती है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो। लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं। देश की जनता सदन को चलते हुए देखना चाहती है और आपसे भी यह अपेक्षा करती है।

... (व्यवधान)

(pp. 3-30)

माननीय अध्यक्ष : आपको पोस्टर और नारेबाजी के लिए नहीं भेजा है। आपको चर्चा के लिए भेजा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं तो मैं सदन को ऐसे नहीं चला सकता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाना चाहते हैं, प्रश्न काल में चर्चा करना चाहते हैं? क्या आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। विदेश मंत्री जी, आप इनसे बात मत कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर बैठिये। कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर जाकर वार्ता नहीं करेगा। आप सदन की मर्यादा बनाकर रखिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1103 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/ANK/SM)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

1201 बजे

(इस समय श्री इमरान मसूद, सुश्री एस. जोतिमणि, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आईटम नंबर 2 - श्री जगत प्रकाश नड्डा।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2026-2027.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2026-2027.

—-

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2024-2025 and Annual Accounts of the National Legal Aid Fund for the year 2024-2025 together with Audit Report thereon.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Legal Services Authority Union Territory, Chandigarh, for the year 2024-2025 and Annual Accounts of the State Legal Aid Fund for the year 2024-2025 together with Audit Report thereon.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Legal Services Authority Union Territory, Chandigarh, for the year 2024-2025.

(3) A copy of the Notaries (Amendment) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 763(E) published in Gazette of India dated 17th October, 2025 under sub-section (3) of the Section 15 of the Notaries Act, 1952.

—-

… (*Interruptions*)

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.5456(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, विशेषज्ञों की नियुक्ति को उक्त अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान, मैसूरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान, मैसूरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वर्ष 2024-2025 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग) (एक) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज, लिमिटेड (एचआईटीईएस), नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (एचआईटीईएस), नोएडा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.821(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई (1) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 12 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसएस-टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

—-

… (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2024-2025.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hajipur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hajipur, for the year 2024-2025.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurugram, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurugram, for the year 2024-2025.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli, for the year 2024-2025.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Madras Fertilizer Limited, Chennai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Madras Fertilizer Limited, Chennai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(10) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2024-2025 alongwith Audited Accounts in respect of the following centres:-

(i) Population Research Centre (Department of Statistics, Maharaja Sayajirao University of Baroda), Vadodara.

(ii) Population Research Centre (Centre for Research in Rural and Industrial Development), Chandigarh.

(iii) Population Research Centre (Panjab University), Chandigarh.

(iv) Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad.

(v) Population Research Centre (Department of Statistics, Patna University), Patna.

(vi) Population Research Centre (Gokhale Institute of Politics and Economics), Pune.

(vii) Population Research Centre (Department of General and Applied Geography, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya), Sagar.

(viii) Population Research Centre (Himachal Pradesh University), Shimla.

(ix) Population Research Centre, (Department of Economics, University of Lucknow), Lucknow.

(x) Population Research Centre (University of Kashmir), Srinagar.

(xi) Population Research Centre (Mohanlal Sukhadia University), Udaipur.

(xii) Population Research Centre (University of Kerala), Thiruvananthapuram.

(xiii) Population Research Centre (Department of Statistics, Gauhati University), Guwahati.

(xiv) Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam.

(xv) Population Research Centre (The Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust), Gandhigram, Dindigul.

(xvi) Population Research Centre (Institute of Economic Growth), Delhi.

(xvii) Population Research Centre (Institute for Social and Economic Change), Bengaluru.

(xviii) Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar.

(11) Eighteen statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2024-2025.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

—-

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O.6119(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st December, 2025 directing that the power to issue passports to persons who are not citizens of India under Section 20 of the Passports Act, 1967, in respect of persons of Indian origin residing in the Republic of the Union of Myanmar and holding Foreigners Registration Certification issued by the Government of the Republic of the Union of Myanmar, may be exercised by the Embassy of India, Yangon, subject to the condition that passports in such cases may be granted by the said Embassy for a period of five years at a time and endorsed for the Republic of the Union of Myanmar only, issued under Section 21 of the Passports Act, 1967.

—-

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for the year 2026-2027.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organization (Navik Bhavishya Nidhi), Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund Organization (Navik Bhavishya Nidhi), Mumbai, for the year 2024-2025.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

—-

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Sanjay Seth, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2026-2027.

(ii) Defence Services Estimates for the year 2026-2027.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Joint Warfare Studies, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Joint Warfare Studies, New Delhi, for the year 2024-2025.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

—-

… (*Interruptions*)

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 365वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य - सभा पटल पर रखा गया

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) : सभापति महोदय, मैं महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों 2025-26' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 365वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

—-

… (व्यवधान)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 149THAND 161ST REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE -- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 149th and 161st Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the ‘Implementation of Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan’ pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare.

—-

… (*Interruptions*)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1204 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, मैं उन सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

—-

… (व्यवधान)

Re: Need to develop an international standard airport in Mandi Parliamentary Constituency

SUSHRI KANGNA RANAUT (MANDI): I wish to draw the attention of the House to the urgent need for developing and operationalising an international-standard airport in Mandi Constituency of Himachal Pradesh. At present, the State lacks an airport capable of facilitating regular operations of bigger planes. The existing airports available in the State facilitates only narrow-bodied turbofan aircraft, which significantly limits passenger capacity, connectivity, and tourism growth. Himachal Pradesh is globally known for its scenic beauty, religious destinations, adventure tourism, and cultural heritage. Tourism is a major driver of the State's economy and livelihood generation. However, limited air connectivity acts as a serious bottleneck in unlocking its full tourism and investment potential. Many tourists, both domestic and international, face long and difficult road journeys due to the absence of a suitable airport for larger commercial aircraft. Mandi Constituency, owing to its central location within the State, offers strategic geographic suitability for such infrastructure. An international-level airport in this region could serve as a gateway for multiple districts, improving accessibility and regional balance in development.

(ends)

Re: Need to abolish the imposition of penalty on BH series vehicles for non-adherence to tax-payment schedule

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : वर्तमान में देश में वाहनों की BH सीरीज नंबर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था चल रही है जिसमे द्वि-वार्षिक रोड़ टैक्स भुगतान व्यवस्था है जिसके कारण वाहन मालिकों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि BH नंबर सीरीज की गाड़ियां का केवल 2 वर्ष का पंजीकरण करके रोड़ टैक्स लिया जाता है, यदि कोई वाहन मालिक किसी कारण, समय पर रेजिट्रेशन का नवीनीकरण न करा पाए तो उसको प्रतिदिन 100 रूपए की दर से जुर्माना भरना पड़ता है, जोकि दुपहिया वाहन मालिकों के लिए बहुत ही ज्यादा है। इस व्यवस्था के कारण व्यक्तिगत एवं सरकारी संसाधनों का भी अधिक उपभोग होता है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि वो वाहनों की BH सीरीज नंबर रजिस्ट्रेशन हेतु द्वि-वार्षिक रोड़ टैक्स भुगतान व्यवस्था समाप्त करने तथा नवीनीकरण में देरी होने के कारण प्रतिदिन 100 रूपए की दर से लगने वाला जुर्माना हटाने के दिशा-निर्देश देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to establish a new PM SHRI Kendriya Vidyalaya in southern part of Kanpur City in Uttar Pradesh

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर महानगर की एक गंभीर शैक्षिक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ| कानपुर महानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है और यह नगर दो प्रशासनिक भागों — कानपुर उत्तर और कानपुर दक्षिण — में विभाजित है। जहाँ उत्तर क्षेत्र में पूर्व से ही केंद्रीय विद्यालय स्थापित है, वहीं दक्षिण क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या लगभग 25 लाख है, जहां एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। उत्तर क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय की दूरी दक्षिण क्षेत्र से लगभग 20 किलोमीटर है। इस कारण दक्षिण क्षेत्र के विद्यार्थियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनेक अभिभावक अपने बच्चों को इस दूरी के कारण केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने में असमर्थ हैं। दक्षिण क्षेत्र की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा के प्रति बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए वहाँ नवीन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की स्थापना आज समय की आवश्यकता बन चुकी है।

(इति)

Re: Need to sanction projects under PMFME scheme, Mega Food Park, Agro-Processing clusters, Cold Chains Subsidy scheme and schemes under APEDA in Hoshangabad Parliamentary Constituency

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : मैं सरकार का ध्यान मध्यप्रदेश के होशंगाबाद–नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ कृषि एवं बागवानी उत्पादन की प्रचुर संभावनाओं के बावजूद फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना और निर्यात-उन्मुख मार्केट लिंकज का अभाव है। यह क्षेत्र मूंग, गेहूं, धान, दालें, फल एवं सब्ज़ियों के उत्पादन में अग्रणी है, किंतु कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग और प्रोसेसिंग सुविधाओं के अभाव में किसानों को भारी पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यदि इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ तथा APEDA/निर्यात-संबद्ध मार्केट लिंकज विकसित किए जाएँ, तो इससे किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन, युवाओं एवं महिलाओं के लिए स्थानीय रोजगार, तथा क्षेत्र के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है। अतः सरकार से अनुरोध है कि वह PMFME योजना, मेगा फूड पार्क/एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर, कोल्ड चेन सब्सिडी तथा APEDA सहयोग के अंतर्गत होशंगाबाद–नरसिंहपुर क्षेत्र के लिए विशेष परियोजनाओं/पायलट क्लस्टर को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

(इति)

Re: Need for comprehensive and integrated planning to develop Kalinga Nagar, Vyasanagar, Jajpur Road and Panikoili together as a planned city in Jajpur district, Odisha

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): Kalinga Nagar is the steel capital of India. There are around 10 steel plants and ancillary industries in this locality. Adjacent Sukinda area is having 95 percentage of chrome ores of India and further iron and manganese ores are available in this locality. National Highway and State Road from state Capital Bhubaneswar to Keonjhar District Hq passes through this town. Bhubaneswar-Keonjhar passenger and goods train line passes through this town with Jakhapura as passenger halt. Adjacent town Vyasanagar a municipality situated at 5 KM distance is having rail station connecting Chennai and Howrah, with Software Technological Park of India. Vyasanagar is having the seat of Maharshi Vyasadeba and connecting to Mahabharata times. Panikoili is also a small town with connectivity of Chennai-Kolkata National Highway having District Police HQ. Vyasanagar is an upcoming city with various Government offices, Judicial Court etc. It is, therefore, proposed to Hon'ble Minister of Housing and Urban Affairs to take necessary steps for converting Kalinga Nagar, Vyasanagar, Jajpur Road and Panikoili a big and planned city which could be the next urbanization platform for the Jajpur District which is having Buddhist Heritage points like Ratnagiri, Udaigiri and Shakti Pitha Maa Biraja Khetra, Baitarani Tirtha and Navi Gaya Khetra.

(ends)

Re: Need to establish a 100-bedded ESIC hospital in Jalgaon Parliamentary Constituency

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : मैं इस सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र जळगांव में 100-बेड वाले ESIC अस्पताल की स्थापना की लंबे समय से लंबित मांग को पुनः उठाना चाहती हूँ। यह विषय मैंने पूर्व में भी सरकार के संज्ञान में लाया है और आज एक बार फिर अपने क्षेत्र की जनता की ओर से इसे प्राथमिकता के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। जळगांव उत्तर महाराष्ट्र का एक प्रमुख औद्योगिक जिला है, जहाँ टेक्सटाइल, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग तथा फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत 3 लाख से अधिक श्रमिक ESIC के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इन श्रमिकों और उनके परिवारों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है। वर्तमान में निकटतम ESIC अस्पताल छत्रपति संभाजीनगर में स्थित है, जिससे उपचार हेतु लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके नेतृत्व में देशभर में ESIC सेवाओं का विस्तार हुआ है। अब जळगांव के श्रमिकों को भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इस परियोजना हेतु MIDC द्वारा 5.36 एकड़ भूमि रियायती उपलब्ध कराई गई है।

(इति)

Re: Need to expedite auction and operationalisation of pending mineral blocks in Balangir, Odisha

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I wish to invite the attention of the Hon'ble Minister of Mines to the persistent delay in auction and operationalisation of mineral blocks in the Balangir district of Odisha. This district is endowed with valuable mineral resources, including manganese and graphite, yet several identified blocks have remained unauctioned or non-operational for an unduly long period. The delay in mineral block auctions has resulted in substantial loss of revenue to both the State and the Central Governments in the form of royalties, auction premiums, and contributions to the District Mineral Foundation (DMF). More importantly, it has severely affected employment generation and ancillary economic activities in a region that continues to face industrial backwardness, limited livelihood opportunities and mass migration of labours. Despite policy reforms and the introduction of transparent e-auction mechanisms under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, procedural bottlenecks, delays in statutory clearances, and lack of coordinated action have hindered timely monetisation of mineral resources in these districts. I urge the Government to take urgent steps to expedite the auction and early operationalisation of pending mineral blocks in Balangir, with fixed timelines, so as to prevent further revenue loss and ensure inclusive regional development through sustainable employment creation. (ends)

Re: Need to conduct a survey to find genuine beggars and bring a policy to address the problems being faced by them in the country

SHRIMATI KAMALJEET SEHRAWAT (WEST DELHI): I wish to raise an urgent matter regarding the increasing number of beggars across cities, religious places, and public spaces. Sir, begging is a social and humanitarian issue, not merely a law-and-order problem. Many beggars are elderly, women, children, persons with disabilities, and migrants, often pushed into this situation due to poverty and lack of livelihood. It is the right time to device a comprehensive National Policy to cater this social problem in an effective manner. Organised begging rackets continue to exploit the vulnerable and more and more individuals are pushed to this menace. Proper identification of antecedents of the beggars must also be carried out and rehabilitation must be ensured for safety and security purpose. I urge the Government to formulate a humane, rehabilitation-based national policy, conduct a nationwide survey, protect children from begging, and strengthen schemes focused on skill development, shelters, and dignified employment.

(ends)

Re: Need to take comprehensive measures to control adulteration in the pharmaceutical sector

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): I rise to draw the urgent attention of this august House to a matter of critical national priority, especially concerning our Prime Minister's commitment to ensuring comprehensive healthcare safety for every citizen. We have recently witnessed tragic incidents of children's deaths caused by contaminated cough syrups, where unscrupulous elements knowingly substituted pharmaceutical-grade solvents with cheap, industrial poisons like Diethylene Glycol (DEG). This criminal malpractice exploited systemic weaknesses in our regulatory ecosystem. While the Union Government has initiated timely reform by notifying stringent revised GMP (Good Manufacturing Practices) standards, the implementation gap remains at the State level. State regulators critically lack accredited testing infrastructure, adequate numbers of qualified inspectors, and unified digital tracking systems for high-risk raw materials. I urge the Union Government to launch an immediate, coordinated, and time-bound national regulatory initiative based on the principle of 'One Nation, One Standard'. The consolidated demand is to ensure the mandatory, digitally-enabled tracking of all high-risk solvents and the immediate provision of Central technical and financial assistance to upgrade state testing laboratories and inspection cadre to uniformly enforce the revised GMP standards across the country. (ends)

Re: Need to develop an IT hub along Meerut-Prayagraj Expressway

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : मेरठ में 'डिजिटल इंडिया विजन'; के अंतर्गत 5 सितंबर 2017 को वेदव्यासपुरी में 'सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया' (STPI) केंद्र की आधारशिला रखी गई थी। लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस IT पार्क का उद्घाटन 28 दिसंबर 2021 को किया गया था। वर्तमान में 25,000 वर्ग फुट में फैले इस केंद्र में 133 सीटों की क्षमता है और 10 आईटी कंपनियां कार्यरत हैं। मेरठ और आसपास के जनपदों के लगभग 10,000 युवा वर्तमान में बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे सुदूर शहरों में IT क्षेत्र में कार्यरत हैं। मेरठ की भौगोलिक स्थिति और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जैसी बेहतर कनेक्टिविटी के बावजूद, वर्तमान IT पार्क की क्षमता स्थानीय प्रतिभा को रोकने और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि मेरठ-प्रयागराज एक्सप्रेसवे के समीप प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 250 हेक्टेयर भूमि पर एक वृहद IT HUB विकसित करने की योजना बनाई जाए। इससे न केवल निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को IT के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय इस विषय में ठोस नीतिगत पहल करने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to expedite completion of all pending Projects under Jal Jeevan Mission in Tripura East Parliamentary Constituency

SHRIMATI KRITI DEVI DEBBARMAN (TRIPURA EAST): I wish to draw the attention of this august House to certain serious discrepancies in the implementation of works under the Jal Jeevan Mission in my Parliamentary Constituency, Tripura East. The constituency comprises predominantly hilly and remote areas and continues to face acute water scarcity. While the Jal Jeevan Mission is of critical importance for the people of this region, instances of improper implementation and misreporting by certain executing agencies have been observed, which are adversely affecting the intended outcomes of the scheme. Further, the maintenance of completed water supply projects has emerged as a major concern. In several cases, this is attributable to negligence on the part of the implementing agencies, and in some instances, to the difficult geographical terrain of the region. As a result, many projects remain non-functional or partially functional, causing hardship to the local population. I therefore request the Hon'ble Minister of Jal Shakti to conduct a detailed review of the status of Jal Jeevan Mission works in Tripura East, ensure time-bound completion of all pending projects, and take appropriate action against agencies found responsible for negligence or misreporting, so that the people of the region may receive assured and sustainable drinking water supply.

(ends)

Re: Need to establish a Government Medical college and Hospital in Chatra district, Jharkhand

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चतरा, झारखंड, एक पिछड़ा एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इस क्षेत्र के नागरिकों को प्राथमिक एवं विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रांची, हजारीबाग, या अन्य दूरस्थ शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे गरीब एवं ग्रामीण जनसंख्या को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। झारखंड सरकार द्वारा कई जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है, किंतु चतरा अब तक इस सुविधा से वंचित है। यदि यहां एक सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की जाती है, तो इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा एवं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए, मैं सरकार से मांग करता हूं कि चतरा जिले में शीघ्रातिशीघ्र एक सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे इस क्षेत्र की जनता को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं एवं युवाओं को उज्ज्वल भविष्य मिल सके।

(इति)

Re: Need to issue fresh DPR and expedite completion of Jalalgarh-Kishanganj New Rail Line Project in Seemanchal region in Bihar

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): I wish to draw the attention of the House to the continued neglect and prolonged delay in reviving the Jalalgarh–Kishanganj New Rail Line Project in the Seemanchal region, a project of critical strategic and economic significance. The 50-km broad-gauge line, sanctioned in 2008–09, was abruptly kept in abeyance in September 2019 on grounds of “unviability”. For six years, the people of Seemanchal have been waiting for justice. When I raised this issue under Rule 377 on 27.03.2025, the Hon’ble Minister of State for Railways informed, through his July 2025 letter, that a fresh DPR was being prepared. However, six months have passed without any visible progress on the ground. Despite an allocation of ₹170.8 crore in the Railway Budget 2025–26, neither land acquisition nor survey work has meaningfully begun. This rail line is not merely a connectivity project, it is a strategic lifeline for the Siliguri Corridor, offering the shortest and most reliable link to the North-East, easing load on the Katihar route, strengthening defence logistics, and unlocking economic potential for agriculture, tea, and cross-border trade. I therefore urge complete the fresh DPR within 30 days; grant final sanction before 31 March 2026; ensure full utilisation of the allocated ₹170.8 crore. (ends)

Re: Need to grant Geographical Indication (GI) tag to various traditional and iconic food items of Odisha

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Need for GI Tag Recognition for Odisha's Iconic Culinary & Tribal Heritage. Odisha's rich culinary and tribal traditions continue to shine, yet several iconic products still await the protection and pride of a GI tag. Chhenagaja, a timeless Odia sweet, handcrafted with precision for generations, its unique texture and taste deserve formal recognition. Dahibara Aloodum, Cuttack's legendary street delicacy, a cultural emotion for Odias, requiring GI protection to preserve its authenticity. Sara Papudi, a traditional sweet with deep roots in rural Odisha and GI status will safeguard its unique preparation technique. Sarsatia, a rare tribal delicacy made using forest produce and its GI tagging will protect this fragile culinary heritage. Chhena Jhilli, the pride of Nimapada and its signature melt-in-mouth flavour must be preserved against imitation. Pakhala Bhata, the soul food of Odisha and symbol of our identity deserves GI recognition to secure its cultural ownership and purity. Koraput Coffee which is grown organically by tribal farmers in the Eastern Ghats, now globally acclaimed and GI status will ensure fair income and stronger branding. These treasures are more than foods as those are the legacy of communities, artisans and tribal farmers. GI recognition will protect authenticity, boost livelihoods and enhance Odisha's national cultural standing. I urge the Government to initiate a time-bound GI facilitation process and support local producer groups and tribal cooperatives. Odisha's flavours and heritage must get the recognition they deserve.

(ends)

Re: Need to set up horticulture-based Food Processing Unit in Weir Assembly Segment in Bharatpur Parliamentary Constituency

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : मैं आपके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का ध्यान मेरे संसदीय निर्वाचन भरतपुर (राजस्थान) अंतर्गत वैर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण, कृषि-आधारित मामले की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ- संसदीय क्षेत्र भरतपुर की वैर विधानसभा कृषि प्रधान है और यहाँ की जलवायु व मिट्टी बागवानी फसलों जैसे अमरूद, नींबू, या सब्जियां, के लिए अत्यंत उपयुक्त है। स्थानीय किसान बड़ी मात्रा में इन फसलों का उत्पादन करते हैं। उचित प्रसंस्करण सुविधाओं और स्थानीय बाजार के अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। फसल खराब होने का जोखिम बना रहता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यदि वैर क्षेत्र में एक सरकारी या निजी क्षेत्र की फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाती है, तो इससे स्थानीय स्तर पर बागवानी को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। यह यूनिट किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी, फसल की बर्बादी रोकेगी और क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। अतः मेरा केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पुरजोर अनुरोध है कि वे इस गंभीर मामले पर तत्काल संज्ञान लें और वैर विधानसभा क्षेत्र में बागवानी आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु अविलंब आवश्यक कदम उठाएँ, ताकि किसानों का हित सुनिश्चित हो सके।

(इति)

Re: Need for construction of a rail over bridge at the level crossing near Lakkidi Railway Station under Palakkad division, Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): It has been a long pending demand for construction of a rail over bridge at the level crossing adjacent to Lakkidi Railway Station under Palakkad Division. This level crossing or gate comes in between Thrissur and Palakkad districts and it is a busiest route having enormous vehicular movement day and night. People living on both sides of this level crossing have to approach hospitals in Thrissur and Ottapalam for urgent medical assistance. However, the railway gate remains closed most of the time as more than 100 trains of both goods and passengers pass through this railway level crossing, resulting in heavy traffic jams on both sides of the gate and it is a regular phenomenon there. The people have no other option to avoid this level crossing and they have to pass through this gate irrespective of the difficulties they foresee every day. Sometimes we witness a row of ambulances carrying patients and corpses waiting for the gate to open. The issue was brought to the notice of all concerned from time to time since last several years. It is requested that an ROB at level crossing adjacent to Lakkidi Railway Station be constructed urgently.

(ends)

Re: Need to construct embankment along the Ramganga river in Uttar Pradesh to prevent annual flood in the region

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : मैं आपका ध्यान जनपद मुरादाबाद के ग्राम मुस्तफापुर से गुरु जंभेश्वर राय विश्वविद्यालय तक रामगंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। उपर्युक्त क्षेत्र में रामगंगा नदी पर उपयुक्त तटबंध न होने के कारण प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान नदी में जलस्तर बढ़ जाने से आसपास के अनेक गांवों में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के कारण किसानों की फसलें पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं तथा आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल जनधन की भारी हानि होती है, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

(इति)

Re: Need to expedite establishment of proposed Sports Hub in Cooch Behar, West Bengal

SHRI JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA (COOCHBEHAR): The Cooch Behar Sports Hub was envisioned as a world class facility for budding sports players, especially in North Bengal. As a National Centre of Excellence under the Sports Authority of India, it was expected to provide top class coaching facilities across 12 sports disciplines. The Bhumi Puja for this project was performed on 15 January, 2023 at New Cooch Behar, in the presence of the Honourable Minister of Youth Affairs and Sports. Close to three years down the line, there has been no significant progress on the sports hub. The reply by the Honourable Minister in the Rajya Sabha during the last session reveals that the Sports Authority of India has sanctioned Rs. 29 crores for this sports hub. Despite these funds, action is yet to be taken. The Cooch Behar Sports Hub holds immense potential for the promotion of sports activities in the region and is key to identifying new talented sports players. Hence, I urge the Government to provide an update on the construction of the Sports Hub and expedite the process on an urgent Basis.

(ends)

Re: Need to declare 15th January observed as Pongal festival across the country, a gazetted holiday

DR. GANAPATHY RAJKUMAR P. (COIMBATORE): Pongal is a harvest festival celebrated by Tamils every year on January, 15. This festival is dedicated to the Hindu god Surya and nature. This festival is also celebrated in all countries where Tamils live, including South India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, European countries, North America, South Africa, and Mauritius. Further, a significant Tamil minority in neighbouring states like Karnataka, Kerala, Puducherry, Andhra Pradesh, Maharashtra, Delhi, Andaman and Nicobar also cerebrate Pongal every year. Tamil population in India is concentrated in Tamil Nadu (official language, over 72 million speakers as of recent data) and significant minorities in neighbouring states like Karnataka (33% population), Kerala (30% population). Puducherry (88%. Population) Andhra Pradesh (35% population) and Maharashtra (37 lakhs) and in Delhi hosts a significant Tamil population, estimated around 7,00,000 in the mid-2000s. With smaller populations elsewhere, reflecting migration patterns and historical links, the total World Tamil population is about 13.578 Crores. In Tamil Nadu, this festival being celebrated for 03 days starting from January 14, 15 and 16 every year with state government gazetted holidays. In view of the above, I urge upon the union govt. to declare 15 January every year as a gazetted holiday to all the Union Government's and Union Territories Offices/Establishments across the country for Pongal festival so as to enable all Tamil people across the country to celebrate this Pongal festival with family happily and peacefully.

(ends)

Re: Need to establish a dedicated Trauma Care facility centre in Amalapuram Parliamentary Constituency

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Amalapuram Parliamentary Constituency is facing a growing burden of road accidents and preventable fatalities, yet it lacks a dedicated trauma care facility. In 2024, the constituency reported 418 accidents that caused 144 deaths, while in 2025 there were 351 accidents but fatalities rose to 196, reflecting a 37 percent increase. This disturbing trend indicates serious gaps in timely emergency and trauma care. A large proportion of these accidents occur on NH-216, a high-speed corridor passing through the constituency that has emerged as a hotspot for serious and fatal crashes. Despite this escalating public safety challenge, Amalapuram currently depends only on Area Hospitals and Community Health Centres, none of which are equipped or staffed to manage trauma, polytrauma, or high-acuity emergency cases. The nearest trauma care facility is located nearly 60 kilometres away, resulting in critical loss of the golden hour for accident victims and significantly reducing survival chances. This infrastructure gap is directly contributing to avoidable deaths and long-term disabilities. I, therefore, urge the Government to sanction and establish a dedicated Trauma Care Facility in Amalapuram Parliamentary Constituency and to upgrade the Amalapuram Area Hospital into a Level-II or Level-III trauma centre with advanced equipment, trained specialists, and round-the-clock emergency response services.

(ends)

Re: Need to develop District Hospitals in Purnia, Kishanganj, Araria and Katihar districts in Bihar as Referral Centers and to establish a Super specialty Hospital in Purnia

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : बिहार के सीमांचल क्षेत्र -पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार की गंभीर स्वास्थ्य संकट की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अधिकांश ज़िला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, प्रशिक्षित नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, ICU-NICU, आधुनिक उपकरणों एवं पर्याप्त बेड की भारी कमी है, जिससे मामूली बीमारियों से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों तक में रोगियों को पटना अथवा अन्य महानगरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं क्षेत्र के निजी अस्पतालों व डॉक्टरों की मनमानी अनेक शिकायतें मिली हैं कि गलत उपचार व लापरवाही से मरीज की मृत्यु के बाद भी परिजनों से जबरन शुल्क वसूला जाता है और शव तक को बंधक बना लिया जाता है। अनावश्यक जांचें तथा अवास्तविक पैकेज थोपकर खुलेआम आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यह अमानवीय व असंवेदनशील व्यवहार चिकित्सा-धर्म और चिकित्सकीय आचार-संहिता दोनों का उल्लंघन है।अतः मेरा आग्रह है कि सीमांचल के जिला अस्पतालों को क्षेत्रीय रेफरल केंद्रों के रूप में विकसित करने हेतु विशेष योजना लाई जाए; निजी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में CCTV कैमरा उच्च स्तरीय जाँच कर पारदर्शी शुल्क-नियंत्रण जवाबदेही तंत्र लागू किया जाए; तथा पूर्णिया में केन्द्रीय स्तर का सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान स्थापित किया जाए, जिससे की जनता को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और मानवीय स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हो सकें।

(इति)

(1205/RAJ/GM)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आज बजट पर चर्चा है। आप अपने सारे विषय उस समय उठा सकते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप सदन की कार्यवाही चलने दें। आज प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस भी होगा।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाइए। हमें आगे की कार्यवाही चलानी है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप बोलने के लिए मौका नहीं चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : हम आपको बोलने के लिए मौका देना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप नहीं चाहते हैं कि कार्यवाही आगे चले?

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do you not want the House to run its business?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting you once again.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are not supposed to exhibit these posters. This is against the rules.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : यह नियम के विरुद्ध है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप ऐसे प्ले कार्ड्स लाकर यहां नहीं दिखा सकते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं कई बार आपको बता चुका हूं।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You cannot bring the exhibits. Kindly put down the exhibits.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let the House run. Please put down the exhibits.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Go back to your seats. I am again requesting you.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : क्या आप नहीं चाहते हैं कि हाउस चले? Do you not want the House to proceed? Do you not want the business of the House to proceed peacefully?

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो हाउस कैसे चलेगा?

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसे हाउस नहीं चलेगा। I cannot run the House like this. I am requesting you once again.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats. Put down your placards. Do not show them.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This is not correct.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए हाउस चलाना मुश्किल होगा।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 09 फरवरी, 2026 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1207 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 09 फरवरी 2026 / 20 माघ 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।